REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2018

भ्रष्टाचार : कारण, निवारण!

डॉ. आलटे आर.एन.
सहायक प्राध्यापक , स्वामी विवेकानन्द वरिष्ठ महाविद्यालय
मंठा ता. मंठा जिला जालना (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना :

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। जिस तेजी से अनेक नेताओं के नाम भ्रष्टाचार से जुड़ने लगे हैं। लगता है कि इक्कीसवीं शताब्दी में भी भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना असम्भव लग रहा है। बहुधा हम राज्य और केंद्र के उच्च राजनीतिज्ञों को यह कहते हुए सुनते हैं कि ''हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करना है'', ''भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ना है'', ''भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे'', ''किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को माफ नहीं किया जायेगा, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो।''

सरल शब्दों में भ्रष्टाचार को 'रिश्वत का कार्य' कहा जा सकता है। इसे ''निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें कानून तोड़ना शामिल हो या जिससे समाज के मानदण्डों का विचलन हुआ हो'', भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग दर्शाता है या भ्रष्टाचार आर्थिक या प्रतिष्ठा सम्बन्धी लाभों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्तव्यों से विचलन है।

जार्सेलर मित्त के स्वामी लक्ष्मी मित्तल ने एक बार कहा था कि यदि उन्हें भारत में स्टील प्लांट खरीदना होता तो उनकी आधी जिन्दगी नेताओं और बाबुओं के पीछे–पीछे ही गुजर जाती। इसी प्रकार जुलाई 2008 में अमेरिका की एक प्रसिद्ध समाचार पत्रा वाशिंगटन पोस्ट में छपा था कि भारत के 540 संसद सदस्यों में से एक चौथाई पर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं। इन अपराधों में मानव तस्करी, इमिग्रेशन रैकेट, बलात्कार हत्या इत्यादि जैसे अपराध तक शामिल हैं। हाल की दो घटनाएँ, मधु कोड़ा घोटाला और आईपीएल घोटाला भारत की भ्रष्टाचार की सही तस्वीर बयाँ करती हैं। झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा पर 4000 करोड़ रुपये के हवाला कारोबार का आरोप है। वहीं आईपीएल घोटाला में यूपीए सरकार का हाई–फाई मंत्री शशि थरूर को त्यागपत्रा तक देना पड़ा। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के मार्ग में भ्रष्टाचार कितनी बड़ी रुकावट है। कितने ही लोग व्यवस्था की भ्रष्ट सीढ़ियों से फिसल कर नीचे आ गिरे होंगे। अंदाजा लगाना मुश्किल है। भ्रष्टाचार के कैंसर ने जीवन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है। हाल ही में हॉकी की दिशा बिगाड़ने वाला आपरेशन सामने आ चुका है। महिला हॉकी के कोच का सेक्स स्कैण्डल में पकड़े जाना बेशर्मी नहीं तो क्या है। डॉ. अमित किडनी के कारोबार में करोड़ों रुपये के वारे न्यारे कर चुके हैं। राजनीति की चादर पर कत्ल, अपहरण, सेक्स स्कैण्डल, नशाखोरी आदि के न जाने कितने धब्बे लग चुके हैं। शिक्षा, व्यापार और न्याय तक का क्षेत्रा भी अछूता नहीं रहा। सन् 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्याधीश न्यायमूर्ति एस. मरूचा पहले ही कह चुके हैं कि बीस प्रतिशत न्याय से जुड़े

लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कहा था कि गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं को केंद्र द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक 100 करोड़ रुपये में मात्रा 15 करोड़ रुपये ही मूल परियोजना में खर्च हो रहे हैं। शेष राशि बीच के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग खा जाते हैं। सीएमएस और ट्रांसपैरेंसी इण्टरनेशनल के साझे अध्ययन में वर्ष 2005 में ग्यारह विभागों के साथ संबंधों को लेकर लोगों के अनुभव एकत्रित किये गये। बासठ प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देकर वह खास सर्विस या सुविधा लेनी पड़ी। अध्ययन बताता है कि छोटी–छोटी रकम के तौर पर जो रिश्वत दी जाती है उसकी राशि हल साल 21068 करोड़ हो जाती है। तीन चौथाई लोग महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालात तो यह है कि भारत में यह माना जाने लगा है कि अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो आपको पागल समझा जाएगा। दो दशक पहले जब भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गये थे तो माना गया था कि लाइसेंस और परमिट राज का अंत होने से भारत सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में उभरेगा, लेकिन विदेशी पैसे की आमद ने भानुमति का पिटारा खोल दिया। नेता और नौकरशाह पैसा बनाने के लिए आर्थिक नीतियों को मरोड़ने लगे। कुछ भारतीय कारोबारियों ने टैक्स बचाने के रास्ते खोजे। देश का रेगुलेटरी खाका लगातार मजबूत होता रहा लेकिन चालबाजों ने नए रास्ते खोज निकाले। सत्यम में 14000 करोड़ रुपये का घोटाला अपने तरह का इकलौता मामला है। केपीएमजी के फ्रा सर्वे 2010 के मुताबिक भारत में हर चार में से तीन कम्पनियों का मानना है कि देश में फर्जीवाड़े के मामले बढ़ रहे हैं।

भ्रष्टाचार ने पूरे राष्ट्र को अपने आगोश में ले लिया है। वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए आज सारा तंत्रा जिम्मेदार है। एक आम आदमी भी किसी शासकीय कार्यालय में अपना कार्य शीघ्र करवाने के लिए सामने वाले को बंद लिफाफा सहज में थमाने के लिए तैयार है। 100 में से 80 आदमी आज इसी तरह कार्य करवाने के फिराक में हैं और जब एक बार किसी को अवैधानिक ढंग से ऐसी रकम मिलने लग जाये तो निश्चित ही उसकी तृष्णा और बढ़ेगी और उसी का परिणाम आज सारा भारत देख रहा है।

भ्रष्टाचार का खामियाजा सबसे अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ता है। गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का इससे बंटाढार हो जाता है, कानून एवं न्याय का राज खतरे में पड़ जाता है। नागरिक जिम्मेदारियों और मर्यादित आचरण के आदर्शों की जगह संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित दृष्टिकोण हावी हो जाते हैं। आदर्शवादी युवा पीढ़ी के लिए यह जहर का काम करता है। इस संदर्भ में बीपीएल परिवारों और ग्यारह बेसिक सर्विसेज के अध्ययन पर आधारित सीएमएस ट्रांसपैरेंसी इण्टरनेशनल इण्डिया की 2007 की रिपोर्ट विचलित करने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले एक तिहाई बीपीएल परिवारों को कानूनसम्मत सेवाएँ हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। लगभग सभी राज्यों में अन्य विभागों की अपेक्षा पुलिस तंत्रा सर्वाधिक भ्रष्ट है।

यह अत्यंत निंदनीय स्थिति है और इसका प्रभाव सामाजिक आधार को ही खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे दुखद पहलू तो यह है कि एक तरफ वर्षों से इसका अध्ययन हो रहा है लेकिन दूसरी ओर यह मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। कुशासन की हम जितनी आलोचना करते हैं, शासन में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार को उतने ही उत्साह से गले लगाते हैं। कानून का शासन कायम करना मुश्किल हो गया है इसलिए स्टिंग ऑपरेशन भी बेअसर साबित हो रहे हैं। 'कैश फार वोट' प्रकरण की अभी भी जाँच चल रही है। मगर झामुमो रिश्वतकाण्ड में शामिल सांसद विशेषाधिकारों की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुक्त किए जा चुके हैं। सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों में संशोधन क्यों नहीं किया जाता क्योंकि किसी भी पार्टी का सांसद धन प्राप्ति के ôोतों की बारीकी से जाँच का सामना करना नहीं चाहता है और ऐसे ज्यादातर ôोत संदेहास्पद होते हैं जिन्हें सांसदों का संरक्षण प्राप्त होता है। मुख्य निगरानी आयुक्त सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार प्रकाश में लाते रहे हैं। कुछ छोटे अधिकारियों के खिलाफ कभी–कभार कार्रवाही भी हो जाती है मगर अधिकांश मामलों में बड़े अधिकारियों पर हाथ नहीं डाला जाता। संयुक्त सचिव और बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों या मंत्री के खिलाफ कार्रवाही के लिए उनके ऊपर बैठे मंत्रियों या अधिकारियों की पूर्वानुमति आवश्यक है। अपने अधीनस्थों के खिलाफ उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति आवश्यक है। अपने अधीनस्थों के खिलाफ

उच्चाधिकारियों की पूर्वानुमति मिल जाए ऐसा दुर्लभ ही होता है। हाल की एक मीडिया रिपोर्ट तो बताती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे किसी अधिकारी के खिलाफ रिटायरमेंट के दस वर्षों बाद तक कार्रवाही करने के लिए उच्चाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। तब तक तो सब कुछ खत्म हो जायेगा। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन के अंतिम दिन भारत इसमें शामिल हुआ। सम्मेलन ने यह जरूरत बताई कि भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को राष्ट्रीय कानून का दर्जा मिलना चाहिए। इस सिफारिश पर भारत ने भी मोहर लगाई। सम्मेलन के कई महीने बाद भी भारत सरकार ने इस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। नतीजतन भारत भ्रष्टाचार के संदिग्ध आरोपियों के प्रत्यार्पण की माँग नहीं कर सकता, विदेशों में गुप्त में जमा निजी या सार्वजनिक धन को जब्त करने या काले धन को सफेद करने के òोतों की जाँच करने की माँग नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कार्रवाही करने में किसी की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती।

भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अनगिनत आयोग और समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, मगर केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई पहल नहीं की। एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किये मगर इससे भी बात नहीं बनी। केंद्र सरकार का कहना है कि वह सुधार के पक्ष में है मगर इस मामले में गृह मंत्राालय का नजरिया बिल्कुल अलग है। गृह मंत्राालय का तर्क है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ राज्य सरकारों के अधीन हैं और इन मामलों में गृह मंत्राालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि केंद्र ने भी अब तक पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई प्रयास नहीं किया है। हालांकि इनका प्रभार केंद्र के पास ही है। पुलिस और खूफिया एजेंसियों का राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया तेज है। अपराधों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आयी है। फौजदारी, कानून व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो चुकी है। परिणामस्वरूप न्यायालय की बजाय अन्य òोतों से न्याय प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। सीबीआई और अन्य खूफिया एजेंसियाँ भी राजनीतिक दखलंदाजी की शिकार है। इसी कारण आतंकवाद का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल नैतिकता का प्रश्न भर नहीं है बल्कि यह भारत जैसे गरीब किंतु विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत सारे अर्थशास्त्राी मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ में हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिकांश बड़ी–बड़ी परियोजनाएँ इन्हीं लोगों के दिमाग की उपज होती है। जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के नाम पर बनने वाली परियोजनाओं में जबर्दस्त भ्रष्टाचार होता है। नकली दवाएँ, विद्यालयों की जर्जर इमारतें, अयोग्य अध्यापक और स्तरहीन भोजन–व्यवस्था देकर आखिर किस तरह गरीबों का, इस देश का भला किया जा सकता है। शायद इसीलिए प्रख्यात अर्थशास्त्राी विमल जालान का यह कहना उपयुक्त है कि भ्रष्टाचार पहले से ही गैर बराबरी वाले समाज में असमानता को बढ़ाता है।

भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु बने विधान

भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) में रिश्वत को परिभाषित किया गया है। उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पारितोषिक देता है या कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचन अधिकार को प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करता है या इनाम देता है तो वह व्यक्ति दण्डनीय होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अनुसार कोई व्यक्ति छल करता है और बेईमानी से सम्पत्ति परिदत करने के लिए उत्प्रेरित करता है, मूल्यवान प्रतिभूत की पूर्णतः या अंशतः रचना करता है तो वह व्यक्ति दण्डनीय होगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सितम्बर 1988 में लागू हुआ इसमें 1947 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान समाहित थे और आई.पी.सी. की कुछ धाराएँ अपराध प्रक्रिया संहिता और 1952 का अपराध कानून अधिनियम के प्रावधान भी समाविष्ट हैं। अपराध कानून अधिनियम में लोकसेवकों से संबंधित अपराध संज्ञेय नहीं हैं। लेकिन 1947 के अधिनियम ने अपराधियों के विरुद्ध अपराध की कुछ मान्यताएँ बनाना न्यायालय के लिए आवश्यक हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ आरोपी पर आ गया। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के

अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती। 1947 के अधिनियम ने रिश्वत लेना, धन का दुरुपयोग करना, आर्थिक लाभ उठाना, आय से अधिक संपत्ति जमा करना तथा अधिकारिक पद का दुरूपयोग करना आदि भ्रष्टाचार के कार्य व अपराध घोषित किये गये। परंतु मुकदमा चलाने का अधिकार केंद्रीय जाँच ब्यूरो को न देकर केवल विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।

'लोकसेवक' शब्द का क्षेत्रा 1988 के अधिनियम में व्यापक कर इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केंद्रीय व राज्यों से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी, उप–कुलपति, केंद्रीय व राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में वैज्ञानिक और प्रोफेसर तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी सभी को लोकसेवक घोषित कर दिया गया। यद्यपि संसद सदस्य तथा विद्यायिकाओं के सदस्य सार्वजनिक कार्य करते हैं तथापि उन्हें इस अधिनियम की परिधि से अलग रखा गया है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों पर लागू होता है। (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) भले ही वे देश में रहते हों या नहीं। यदि लोकसेवक के विरुद्ध न्यायालय में अपराध सिद्ध हो जाता है तो इसमें कम से कम 6 माह के कारावास का दण्ड है लेकिन यह पाँच वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार 6 माह का कारवास तो आवश्यक है ही और न्यायालय का विवेक इस संबंध में मान्य नहीं है। यदि लोकसेवक दोषी पाया जाता है तो उसको दो वर्ष से कम की सजा नहीं होती, लेकिन सात वर्ष से अधिक का कारावास और आर्थिक दण्ड नहीं हो सकता।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

देशमेंभ्रष्टाचारपर अंकुश लगाने के लिए अनेक आयोग बने। श्री के. संथानक की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन 1960 में किया गया था। इस समिति ने निम्नलिखित उपाय सुझाये थे–

- सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने की स्वतंत्राता देना न कि भ्रष्ट प्रथाओं की जाँच करने की।
- सतर्कता अधिकारियों को कुशल कार्य करने के लिए प्रोन्नति का आश्वासन देना।
- उच्चस्थ अधिकारियों के मामलों की जाँच–पड़ताल के लिए सतर्कता अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेजने से सुरक्षा का आश्वासन देना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय लोक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं को प्रतिनिधित्व देना।
- सतर्कता विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को विभाग के नियमों और कार्य प्रणाली के विषय में गहन प्रशिक्षण देना, क्योंकि सतर्कता के 80 प्रतिशत मामलों की छानबीन निम्न स्तर पर ही होती है।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकारी और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित चार विभागों की स्थापना भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के अन्तर्गत की–

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता विभाग
2. केंद्रीय जाँच ब्यूरो
3. राष्ट्रीयकृत बैंको/सार्वजनिक उपक्रमों/ मंत्राालयों/ विभागों में घरेलू सतर्कता इकाइयाँ और
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग

राजनेताओं और सार्वजनिक कम्पनियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा दो दर्जन से अधिक आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं। इन समितियों में सर्वाधिक चर्चित वोहरा समिति है जिसकी स्थापना जुलाई 1993 में भारत में भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए की गयी थी जिसमें सरकारी कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, अपराधी गठजोड़ और माफिया संगठनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाना था। समिति ने 5 अक्टूबर 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 1 अगस्त 1995 को संसद के दोनों सदनों में रखी गयी।

इस रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच गठजोड़ पर विध्वसंक प्रहार किये गये हैं। इसमें कहा गया है कि माफिया जाल एक समानान्तर सरकार चला रहा है जिससे राज्यतंत्रा निरर्थक हो गया है। समिति ने एक सर्वाधिक शक्तिशाली एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की जो सभी एजेन्सियों से सूचना एकत्रा करे तथा तुरन्त निरोधक कार्यवाही करे।

सूचना का अधिकार

संसद द्वारासूचना के अधिकार का विधेयक पास करने से आम जन का लोक दस्तावेजों तक बेहतर पहुँच हुई है। इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्राी मनमोहन सिंह ने कहा है कि नौकरशाही इस विधेयक को सरकार–नागरिक इंटरफेस में सुधार के एक औजार के रूप में देखे जिसका परिणाम मैत्रीपूर्ण, ध्यान रखने वाले प्रभावी प्रशासन के रूप में हो। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों तक सूचना के प्रवाह में वृद्धि का लाभ भ्रष्टाचार समाप्त करेगा और शासन की सभी प्रक्रियाओं के प्रति सामान्य जन की चिंताएँ शामिल करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार से हैं–

- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त सूचनाएँ प्रदान की जायेंगी अन्य वर्गों से तर्क संगत शुल्क लिया जायेगा।
- इसके दायरे में सरकार द्वारा धन पाने वाली स्वयंसेवी संस्थाएँ भी रहेंगी।
- सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समयावधि 30 दिन निर्धारित की गयी है लेकिन यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्राता से हो, तो यह सीमा 48 घण्टे की होगी।
- बिना किसी तर्कसंगत कारण के सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के लिए प्रतिदिन 250 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये दण्ड का प्रावधान।
- केंद्र तथा राज्य स्तर पर सूचना आयोगा का गठन।

सूचनान मिलने पर किसके पास अपील करे

- पहलीअपीलजनसूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से करें।
- दूसरी अपील सूचना आयोग से
- तीसरी अपील उच्च न्यायालय से

व्दितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का उपाय सुझाने के लिए अगस्त 2005 में एस. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने फरवरी 2007 तक चार रिपोर्ट पेश कर दी। इसमें प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक सुधार तथा भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी उपयामों की चर्चा है। ये सुझाव निम्नांकित हैं–

1. राष्ट्रीय लोकायुक्त का गठन।
2. स्थानीय स्तर पर ओम्बुडसमैन का गठन
3. राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन
4. चुनावी खर्च का सरकारी प्रबंधन
5. कठोर दलबदल कानून
6. जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन
7. लोक सेवकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की प्रक्रिया में सुधार

भ्रष्टाचार दुर करणे के उपाय

- भ्रष्टाचारीकोत्वरितढंग से दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे किसी दायित्व पर तब तक नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वह खुद को निर्दोष साबित न कर ले। त्वरित और कड़ी कार्रवाही होनी ही चाहिए।
- यदि ऊँचे पदों पर बैठे गलत तत्वों पर कार्रवाही हो तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे सकेंगे।
- भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने चुनाव में खर्च होने वाले धन पर भी नियंत्राण करें।
- ऐसा तंत्रा भी विकसित करना पड़ेगा जो धन के अतिगमन पर न केवल नजर रखे वरन् जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाही भी कर सके। इस संदर्भ में चुनाव आयोग को और शक्तिसम्पन्न किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रत्याशी के अनाधिकृत और भ्रष्टा कार्यों को व्यापक रूप में प्रकाशित कर जनता को उससे अवगत कराना आवश्यक है।
- भ्रष्टाचार को दूर करने का एक बड़ा उपाय ई–गवर्नेस के यप में मिल गया है। ई–गवर्नेस ने निर्णय प्रक्रिया और निर्णय के क्रियान्वयन को भी अत्यंत आसान कर दिया है। निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक पारदर्शिता रखनी होगी और इस कार्य में यदि साफ्टवेयर का इस्तेमाल सहज क्रियाशीलता के साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में किया जाता है तो इससे सरकारी कार्यों और निर्णयों में पर्याप्त चुस्ती आएगी और भ्रष्टाचार की सम्भावनाएँ भी समाप्त हो जायेंगी।
- सरकारी कार्यों में गलती, लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाही होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकांश लोकायुक्त असफल हो चुके हैं क्योंकि एक तो उन्हें सरकार के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। दूसरे उनके कार्मिकों की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं है। हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त द्वारा त्यागपत्रा देना इसी को सूचित करता है।
- केंद्रीय जाँच ब्यूरो के वर्तमान ढाँचे में परिवर्तन कर उसमें तेज तर्रार अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। केंद्रीय जाँच ब्यूरो को किसी केस के बारे में प्राथमिक तथ्यों का अन्वेषण बारीकी से करके उस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। देश के औद्योगिक जगत उद्यमी समूहों पर भी भ्रष्टाचार खत्म करने का दायित्व है।
- लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्राों में रहने वाले लोगों को सब्सिडी और सरकारी अनुदानों के बारे में उनके हक की पूरी जानकारी दी जाय।
- नीतियों और फाइलों में लिये गये विभिन्न निर्णयों को पारदर्शी बनाया जाये। हर आवेदक को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका आवेदन पत्रा कहाँ रुका है।
- विलम्ब ही भ्रष्टाचार का मुख्य òोत है। हर विभागीय अध्यक्ष या हर कार्यालय के प्रमुख को किसी आवेदन या फाइल पर निर्णय लेने के लिए समयावधि निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे कि किसी भी स्तर पर कार्यवाही में देरी न हो अगर उसमें देरी होती है तो उसके लिए जो कारण हो वह ऐसा हो, जिससे प्रमुख या अध्यक्ष संतुष्ट हो। फाइलों पर कार्यवाही में देरी होती है तो उसके लिए जो कारण है। वह ऐसा हो, जिससे प्रमुख या अध्यक्ष संतुष्ट हो। फाइलों पर कार्यवाही में देर इसलिए न की जाये ताकि लाभार्थी उस पर कार्यवाही तेज करवाने के लिए रकम देने के लिए हाजिर हो।
- जिन भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी/ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है। उनकी संपत्तियों को सल कर दिया जाना चाहिए और उनके दोषी साबित होने पर सरकार को उन संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए।
- नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। अनेक कानून ऐसे हैं जिन्हें जनसाधारण समझ नहीं पाते। अनावश्यक कानून खत्म कर दिये जाने चाहिए। कानून और नियम यथासंभव सरल होने चाहिए।
- देश के पंचायती राज और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इसलिए सत्ता का यथासंभव विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और पंचायतों को अधिकतम अधिकार दिये जाने चाहिए।

- लोकतंत्रा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उन्हें अपने नजदीकी अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए तबादलों और पदोन्नतियों जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- राज्य एवं जिला स्तर पर भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण अधिकारियों एवं नेताओं के बीच बढ़ रहा एक प्रकार का गठजोड़ है। नेताओं का अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न हो इसके लिए सभी राज्यों में उच्चाधिकारियों की एक नियुक्ति एवं स्थानान्तरण बोर्ड बना दिया जाये जो कार्य निष्पादन एवं आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का सुझाव दे और इसके आधार पर ही स्थानातरण किया जाए। इसके साथ सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों का एक निश्चित कार्यकाल हो। जो तीन वर्ष की हो सकती है और उसके पहले स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाये ताकि ये अधिकारी कम दबाव में रहे एवं निश्चितंता से अपना कार्य कर सकें।

संदर्भ सुची

1. Machael, Clarke (ed), Corruption : Causes & Consequences, Francecis Publishers, London, 1983.
2. Dr. Ram Ahuja : Indian Social Problem : Rawat publications, Jaipur, 223-240.
3. Dr. Ganesh Pandey : Indian socialProblems 2003, Radha Publication, New Delhi.
4. प्रतियोगिता दर्पण : समसामयिक वार्षिकी 2010, 2011
5. Government of India, Ministry of Home Affairs, Report of the Committee on Prevention of Corruption, 1964.